न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 23/2018

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

पुरखाराम पुत्र लसाराम
जाति भील निवासी गोधावास खुर्द
उपतसील कल्याणपुर तहसील
पचपदरा जिला बाड़मेर

1. तहसीलदार पचपदरा
2. उप तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2018 जो प्रकरण सं. 22/2018 मे उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भेराराम, नायब तहसीलदार एवं सरकारी पैरोकार, उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11/12/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रकरण सं. 22/2018 सरकार बनाम पुरखाराम मे पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का ग्वालनाडा द्वारा उप तहसीलदार कल्याणपुर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोधावास खुर्द के खसरा नम्बर 84 रकबा 06–07 बीघा किस्म गैर मुमकीन लाटा सरकारी भूमि मे से 00–14 बीघा भूमि पर गैर सायल पुरखाराम द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल द्वारा दौरान सुनवाई न तो उपस्थित और न ही कोई जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये गये। इस पर उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 08.02.2018 के द्वारा 18/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 27.04.2018 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन–फानन मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं कि अपीलांट ने गे0मु0

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लाटा की भूमि पर अवैध निर्माण किया हैं। अपीलांट कई वर्षों से अपने रहवासीय ढाणी मे कदीमी रूप से निवास कर रहा है तथा अपीलांट का यह कब्जा 100 वर्षों से अधिक समय का हैं। इस जमीन पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा फसल पकने के बाद लाटा निकाला जाता है तथा अपीलांट का परिवार इस ढाणी में परिवार सहित निवास करते हुए इन लाटों की रखवाली करता हैं। मुतनाजा भूमि न तो पड़त हैं और न ही गोचर अथवा रास्ते की है, लिहाजा धारा 91 राजस्व अधिनियम में लाटों की जमीन को राजकीय जमीन नहीं माना हैं। इस तथ्य पर गौर किये बिना एवं जांच किये बिना अपीलांट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने के आशय से उक्त अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम गोधावास खुर्द के खसरा नम्बर 84 रकबा 06–07 बीघा किस्म गैर मुमकीन लाटा सरकारी भूमि मे से 00–14 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुआ तथा न ही कोई जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत किये, न ही इस अपील मे भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने गैर मुमकीन लाटा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम गोधावास खुर्द के गे0मु0 लाटा सरकारी भूमि पर मकान बाड़ा बनाकर कई वर्षों से निवासरत होना प्रकट किया है, किन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रथम नोटिस आबाद मकान पर चस्पा होकर प्राप्त हुआ तथा इसके पश्चात अपीलांट के ज्ञात दूरभाष नम्बर पर भी सूचित करते हुए पुनः नोटिस दिनांक 01.02.2018 जारी किया। इस प्रकार अपीलांट को जब समुचित रूप से सूचना हो गई थी तो उसे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

08.02.2018 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर उप तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.11 18:13:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: